डब्ल्यू-11013/6/2014-एसबीएम (जी)
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 8 जनवरी, 2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव,

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

विषय: इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का तालमेल बिठाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) दिशा-निर्देश www.mdws.gov.in पर डाले गए हैं। दिशा-निर्देश का पैरा 5.4.4 इस प्रकार है:-

“सभी घर जो केंद्रीय अथवा/और राज्य सहायता से निर्मित किए जाते हैं, में निरपवाद रूप से एक अनिवार्य भाग के रूप में उपयुक्त स्वच्छता सुविधा होनी चाहिए। इंदिरा आवास योजना घरों के लिए कार्यशील शौचालयों के प्रावधान हेतु इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम में प्रावधान को पृथक रूप से शामिल किया जाएगा। जब तक विद्यमान आईएवाई व्यवस्था में ऐसा प्रावधान किया जाता है, वित्तपोषण का काम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जारी रखा जाएगा।

2. यह पुन: दोहराया जाता है कि जब तक आईएवाई कार्यक्रम में सुधार किया जाएगा और शौचालयों का प्रावधान आईएवाई लागत में शामिल किया आईएवाई शौचालयों का वित्तपोषण एसबीएम (जी) के तहत उपलब्ध कराना जारी रहेगा।

3. तथापि एमडीडब्ल्यूएस द्वारा प्रबंधित एसबीएम (जी) एमआईएस पर प्रगति की अनिवार्य रिपोर्टिंग पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

4. एसबीएम (जी) निधियों के उपयोग के संबंध में राज्य आईएवाई एजेंसी द्वारा राज्य एसबीएम (जी) एजेंसी को उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर भी गहनता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

आपका

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
दूरभाष सं. 24362705

प्रति:

(1) राज्य समन्वयकर्ता, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(2) निदेशक (एनआईसी), एमडीडब्ल्यू और एस मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए
(3) संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, को नई दिल्ली को दिनांक 06.01.2015 के एमओआरडी पत्र संख्या जे-11011/2/2014-आरएच के संबंध में।